क्रमांक एवं आदेश की तिथि	अपर उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज आर०एम०पी० वाद सं० - 09/2011-12 मुंशी ठाकुर बेसरा वगैरह - अपीलार्थी -बनाम- हड़मा बेसरा - उत्तरवादी	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
9	२	३
15/03/23	अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद, उपायुक्त साहेबगंज के न्यायालय में सुनवाई के उपरांत अपर उपायुक्त के न्यायालय में निष्पादन हेतु दिनांक – 12.01.12 को अंतरित किया गया। तत्कालीन अपर उपायुक्त द्वारा इस वाद में विभिन्न तिथियों पर सुनवाई की गई है। संबंधित वाद प्रधानी मौजा आमडंडा अंचल – पतना के प्रधानी बहाली से संबंधित है जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा पी0ए0 केस नं0 – 13/08–09 ,दिनांक – 27.06.2008 के द्वारा उत्तरवादी हड़मा बेसरा को ग्राम प्रधान की नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है उक्त आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा अपील दायर किया गया है। अधोहस्ताक्षरी स्तर से दिनांक – 12.04.22 से वाद की सुनवाई प्रारंभ की गई है। उभय पक्ष को सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा समर्पित Note of Arguement से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होता है। मौजा आमडंडा अंचल पतना जमाबंदी सं0 – 41 के जमाबंदी रैयत फागु बेसरा है जिनकी वंशावली इस प्रकार है। वंशावली के अनुसार अपीलार्थी खतियान रैयत के वंश वृक्ष में आते है।	

Scanned with OKEN Scanner

वंशावली की विवरणी इस प्रकार है –

1) फागु बेसरा (R.T)

फूदन बेसरा (मृत) पूर्व प्रधान | ठाकुर बेसरा (मृत)

- पौलूस बेसरा (नावल्द मृत)
- मसि बेसरा (नावल्द मृत)
- दानियल बेसरा (नावल्द मृत)
- सोमाय बेसरा (नावल्द मृत)
  चुड़की किस्कू (पत्नी)
  नावल्द मृत्यु
  08.07.2008

ठाकुर बेसरा
⇩
फागू बेसरा
⇩
मुंशी ठाकुर बेसरा (मृत्यु 10.05.2015)
⇩
फागू बाबूलाल बेसरा (मृत्यु 14.12.2010)

मुंशी ठाकुर बेसरा (अपीलार्थी) | मिस्त्री बेसरा

उक्त वंशावली के आलोक में अपीलार्थी खतियानी रैयत के वंश वृक्ष में आते है तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियत 1949 की धारा 05 के तहत् प्रधान बहाली हेतु सुयोग्य दावा रखते है।
इसी वंश वृक्ष की चुड़की किस्कू , पति – सोमाय बेसरा पूर्व चयनित प्रधान जिनकी मृत्यु 08.07.2008 को हो चुकी है उनके द्वारा भी मुंशी ठाकुर बेसरा को प्रधान नियुक्ति हेतु अनुशंसा की गई है। इसके बावजूद निम्न न्यायालय द्वारा पी0ए0 केस नं0 में उत्तरवादी को गलत एवं गैरकानूनी मरीका से आमडंडा मौजा का प्रधान नियुक्ति किया गया है। इस नियुक्ति में 16 आना जमाबंदी रैयतों को सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। वल्कि उत्तरवादी के आवेदन पर ही कर्यवाही प्रारंभ कर गलत एवं गैर कानूनी तरीका से आदेश पारित किया गया है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित Note of Arguement का अवलोकन किया जो अपीलार्थी की ओर से समर्पित बंशावली से विल्कुल भिन्न है। समर्पित Note of Arguement के अनुसार पूर्व प्रधान चुड़की किस्कू पति स्व0 सोमाय बेसरा का अधिक उम्र और अस्वस्थ होने के कारण प्रधानी कार्य में सहयोग उतरवादी के द्वारा किया गया है तथा चुड़की किस्कू के मृत्यु के उपरान्त ईसाई रितिरिवाज से अंतिम संस्कार उतरवादी द्वारा किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल द्वारा Spt Act 1949 की सुसंगत धारा को ध्यान में रखकर उत्तरवादी को प्रधान नियुक्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल द्वारा दिनांक 27.06.08 का निर्गत प्रधानी पट्टा 15 वर्ष के लिए निर्गत है। उभय पक्ष को विज्ञ अधिवक्ता का वयान एवं Not of Arguement अवलोकन के वाद निम्न लिखित तथ्य स्पस्ट होते है।

1 मौजा आमडंडा, अंचल पतना प्रधानी मौजा है जिसके जमाबन्दी सं 41 के खतियानी रैयत फागु बेसरा के वंश वृक्ष में चुड़की किस्कू पति स्व0 सोमाय बेसरा एवं अपीलार्थी भी आते है परन्तु उतरवादी का नाम अपीलार्थी द्वारा समर्पित वंशावली में अंवित नहीं है।

2 उतरवादी द्वारा समर्पित वंशावली में स्व0 चुड़की किस्कू (पूर्व प्रधान) पति स्व0 सोमाय बेसरा (पूर्व प्रधान) एवं अर्पीलार्थी का नाम अंकित नहीं है। जबकि लिखित Statement में स्व0 चुड़की किस्कू की चर्चा की गई है।

3 चुड़की किस्कू द्वारा दिनांक 06.05.08 को मौजा आमडंडा अंचल पतना के ग्राम प्रधान की बहाली के लिए मुंशी ठाकुर बेसरा का नाम प्रस्तावित की है। इसके साथ उससे अपने चाचा ससूर के छरपोता हाडमा बेसरा पिता शिव वेसरा को प्रधान नियुक्ति हेतु भी प्रस्तावित किया है। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल द्वारा दिनांक 27.06.08 को निर्गत पट्टा 15 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है जिसकी कालावधि समाप्त हो चूकी है।

उक्त स्थिति में वर्त्तमान कार्यरत प्रधान के विरूद्व जमाबंदी रैयतों की आपत्ति प्राप्त करने की स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल द्वारा ग्राम आमडंडा अंचल पतना के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत 16 आना रैयत की सहमति एवं विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्रधान बहाली का कार्य पूर्ण करने की कार्यवाई उचित एवं युक्ति संगत प्रतित होता है। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है,

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

15/03/23

अपर उपायुक्त,
साहेबगंज।

लेखापित एवं संशोधित।

15/03/23

अपर उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by Gautam Kumar Bhagat
Date: 2025.01.28 16:14:52 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned with OKEN Scanner